सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-3247/JH/132/2024-RO-RNC

दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला - दुमका
नया समाहरणालय भवन,
दुमका - 814101, झारखंड,
ई-मेल: sp-dumka@jhpolice.gov.in

उपायुक्त,
कार्यालय उपायुक्त,
समाहरणालय भवन,
दुमका, झारखंड 814101
ई-मेल: dc-dum@nic.in

विषय: **अभ्यावेदक श्री साईमन सोरेन, ग्राम- खाडूकदमा, प्रखण्ड एवं अंचल- शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका, (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन " अंचल अधिकारी श्री कपिल देव ठाकुर द्वारा आदिवासी की भूमि का स्थानांतरण एवं अतिक्रमण करने में सहयोग करने के संबंध में" ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्री साईंमन सोरेन,
पिता-स्व० रावण सोरेन,
ग्राम- खाडूकदमा,
प्रखण्ड एवं अंचल- शिकारीपाड़ा,
जिला-दुमका, झारखण्ड, 816118,
Mobile No: 9939375275

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-3247/JH/132/2024-RO-RNC

अभ्यावेदकगण श्री साईमन सोरेन एवं श्री रामजीत मुर्मू, ग्राम- खाडूकदमा, प्रखण्ड एवं अंचल- शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन, आदिवासी भूमि पर कथित अतिक्रमण एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में, आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदकगण श्री साईमन सोरेन एवं श्री रामजीत मुर्मू द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि उनकी रैयती भूमि, जो क्रमशः जमाबंदी संख्या-61, दाग संख्या-1188 तथा जमाबंदी संख्या-30, दाग संख्या-1187 एवं 1139 से संबंधित है, पर श्री पारा अंसारी, जिला-पाकुड़ द्वारा जबरन अतिक्रमण कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। अभ्यावेदकों का आरोप है कि इस संबंध में अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा को लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य रोकने के बजाय अंचल अधिकारी द्वारा कथित रूप से अतिक्रमणकर्ता का पक्ष लिया गया तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई। अभ्यावेदकों ने आयोग से अतिक्रमणकर्ता एवं संबंधित राजस्व पदाधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.10.2024 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला-दुमका (झारखण्ड) को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया था। पुलिस अधीक्षक, दुमका द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अंचल कार्यालय, शिकारीपाड़ा द्वारा दोनों पक्षों को राजस्व न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था तथा अंचल अमीन द्वारा विवादित भूमि की नापी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। नापी प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि निर्माण कार्य दाग संख्या-1187 पर किया जा रहा है तथा दाग संख्या-1188 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा अभ्यावेदक की आपत्ति खारिज कर दी गई थी। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि पुनः नापी हेतु तिथि निर्धारित की गई थी, किन्तु अभ्यावेदक निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए।

3. पुलिस अधीक्षक, दुमका से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अभ्यावेदक को प्रेषित की गई, जिससे असंतुष्ट होकर अभ्यावेदक ने दिनांक 18.02.2025 को पुनः आयोग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपने पुनः अभ्यावेदन में अभ्यावेदक ने आरोप लगाया कि भूमि की नापी बिना पूर्व सूचना एवं उनकी अनुपस्थिति में की गई थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बाद में निर्धारित पुनः नापी की तिथि पर संबंधित राजस्व पदाधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अभ्यावेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी भूमि को फर्जी तरीके से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया है तथा मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई है।

4. अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई। सुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त, दुमका तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

उपायुक्त, दुमका विवादित भूमि की प्रकृति, स्वामित्व, सीमांकन एवं कब्जे की स्थिति की पुनः जांच कराते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में आवश्यक सत्यापन सुनिश्चित करें। यदि जांच में अनुसूचित जनजाति की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण अथवा विधि-विरुद्ध हस्तांतरण पाया जाता है, तो प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई कर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। साथ ही, की गई कार्रवाई एवं जांच प्रतिवेदन 30 दिनों के भीतर आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi